

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
आदेश

संख्या-4/क्षेत्रा० मुक० (मुख्यालय)-05-44/2026-482 (4)/रा०, पटना-15, दिनांक-29/09/26

बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 की कंडिका-03 के तहत राजस्व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका -13 में राज्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण/ पदस्थापन अंतर जिला में विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026 द्वारा किया गया।

2. वादी द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-11720/2026 मोती लाल दास बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में वाद दायर किया गया।

उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-17.08.2026 को पारित आदेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"2. The learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has challenged/assailed the order of transfer dated 14.07.2026, however, he has already joined at his transferred place of posting. He submits that the petitioner is due to superannuate in February 2028. The learned counsel for the petitioner submits that he had already submitted his representation before the concerned authorities for considering his case for posting him either at the place, where he was posted, prior to issuance of the order of transfer or to a nearer place his transferred place of posting.

3. The learned counsel for the State submits that since the petitioner is to retire within a short period, his case will sympathetically, will be considered by the respondent authorities, within a period of one week from today.

4. Let the matter be listed on 28.08.2026."

3. याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क/बिन्दु :-

याचिकाकर्ता श्री मोती लाल दास, गृह जिला-गया द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य उपस्थित किये गये हैं :-

(i) विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026 द्वारा उनका स्थानांतरण गया जिला से सहरसा जिलान्तर्गत किया गया है। वादी का कहना है कि वह स्वयं एवं उनकी पत्नी को हाई ब्लड प्रेशर एवं हर्ट से संबंधित रोग से ग्रसित है। जिसका इलाज गया के चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही वादी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक- 31.01.2028 को है।

(ii) वादी द्वारा स्वयं एवं उनकी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए पदस्थापन गया मुख्यालय के नजदीक अंचल नगर एवं मानपुर में करने का अनुरोध किया गया है।

4. याचिकाकर्ता/आवेदक के उपरोक्त अभ्यावेदन का समीक्षा, प्रावधान एवं प्राधिकार का निर्णय निम्नवत् है-

(i) बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 की कंडिका-03 के तहत राजस्व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-13 में राज्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण/ पदस्थापन अंतर जिला में विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026 द्वारा किया गया।

साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा दिये निदेश के आलोक में बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 का गठन किया गया है।

(ii) विभागीय पत्रांक-162(4), दिनांक-13.05.2026 द्वारा राजस्व कर्मचारियों को राज्य अन्तर्गत स्थानांतरण के निमित्त पोर्टल के माध्यम से विकल्प चुनने का अवसर दिया गया।

(iii) प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026, विभागीय शुद्धि पत्र आदेश संख्या-

326(4), दिनांक-23.07.2026 एवं शुद्धि पत्र आदेश संख्या-336(4), दिनांक-28.07.2026 द्वारा कुल-3268 राजस्व कर्मचारियों का Randomly स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है।

Randomly स्थानांतरण/पदस्थापन के तहत कुल-2533 राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक स्थानांतरण/पदस्थापन हुआ है।

(iv) इस मामले में वादी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में, यह भी उल्लेखनीय है कि कुल कार्यरत राजस्व कर्मचारियों में से मगध एवं पटना प्रमण्डल के कर्मियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण एवं प्रत्येक जिला के राजस्व के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु सभी राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक जिलों में राजस्व कर्मचारियों की संख्या निर्धारित है, ऐसे में सभी कर्मों का ऐच्छिक पदस्थापन किये जाने पर राजस्व कर्मचारियों की संख्या किसी जिला में बहुत कम, किसी जिला में बहुत अधिक हो जाएगी, जिसके कारण हल्कों का कार्य प्रभावित होगा।

(v) राजस्व कर्मचारियों के कुल-8054 रिक्त पदों के विरुद्ध प्रेषित अध्याचना के आलोक में नियमित नियुक्ति के पश्चात् सभी राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन आस-पास जिलों में किया जाना संभव हो सकता है।

5(i) माननीय न्यायालय द्वारा दिये निदेश के आलोक में बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 का गठन किया गया है।

(ii) उक्त नीति की कंडिका-7 में स्पष्ट किया गया है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली-2025 के नियम-3(ii) के तहत राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा।

(iii) कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण केवल जून माह में किया जाना निर्धारित है। साथ ही सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि शेष होने की स्थिति में यथासंभव पदस्थापन का प्रावधान है।

(iv) बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 में कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन राजस्व कर्मचारियों का केवल जून माह में किये जाने का प्रावधान है।

याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति माह जनवरी, 2028 में निर्धारित है। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा अपने गंभीर रोग के संबंध में चिकित्सक का प्रमाणित साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में माह-जून, 2027 अथवा भविष्य में स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय याचिकाकर्ता को उनके गृह जिला के आस-पास के जिलों में पदस्थापन किये जाने पर यथासंभव विचार किया जाएगा।

6. तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-11720/2026 मोती लाल दास बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.08.2026 का अनुपालन करते हुए अभ्यावेदन को सकारण निष्पादित किया जाता है।

(जय सिंह)
सचिव। 29/9/26

ई-मेल

ज्ञापांक-4/क्षे0स्था0 मुक0 (मुख्यालय)-05-44/2026-483(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-29/09/26
प्रतिलिपि :-समाहर्ता/अपर समाहर्ता, गया एवं सहरसा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 29/9/26

ज्ञापांक-4/क्षे0स्था0 मुक0 (मुख्यालय)-05-44/2026-483(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-29/09/26
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबंधित को आदेश की प्रति ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब-साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 29/9/26